छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (एस) संख्या 2607/2008

याचिकाकर्ता : आज़ाद मुहम्मद खान

बनाम

उत्तरदाताओं : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य
तथा अन्य संबंधि याचिकाएं

निर्णय एवं आदेश हेतु सूचिबद्ध करें दिनांक: 28/07/2008

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 2607/2008</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : आजाद मोहम्मद खान, पिता - स्वर्गीय रामजान खान, उम्र लगभग - 48 वर्ष, निवासी महामाया सेंटरिंग शॉप, प्रतापपुर नाका, अम्बिकापुर (छ.ग.)

बनाम

<u>उतरवादी</u> : 1. छत्तीसगढ़ राज्य - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (एस) संख्या 2608 वर्ष 2008</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> :

1. उमेश चंद्र सिंह, पिता - श्री शीत बसंत सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी जी-5, सिंचाई कॉलोनी, प्रतापपुर नाका के निकट, अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. अरुण कुमार तिवारी, पिता - रामानुज प्रसाद तिवारी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी सिंचाई कॉलोनी, गांधी नगर, अम्बिकापुर (छ.ग.)
3. नरबद सिंह ठाकुर, पिता - श्री बाबूलाल ठाकुर, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी बांकी कॉलोनी, फुन्दुर दिहारी, अम्बिकापुर (छ.ग.) बनाम

बनाम

<u>उतरवादी</u> :

1. छत्तीसगढ़ राज्य - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 2609/2008

याचिकाकर्ता : अब्दुल राशिद कुरेशी स/ओ श्री अब्दु हाफिज, एज्ड अबाउट 52 इयर्स, र/ओ शिवधारी दुबे कॉलोनी, अंबिकापुर (सी.ग.)

बनाम

उतरवादी :
1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 2707/2008

याचिकाकर्ता : रामानुज शर्मा, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता - स्वर्गीय श्री एन.पी. शर्मा, वर्तमान में पदस्थ सहायक अभियंता ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएँ उप- विभाग, लिमड्रा, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के रूप में, निवासी एफ-14, डी.सी. रोड, सिंचाई कॉलोनी, अम्बिकापुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उतरवादी :
1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 2708 वर्ष 2008

याचिकाकर्ता : शिव कुमार तिवारी, उम्र लगभग 53 वर्ष, पिता - श्री वी.एन. तिवारी, वर्तमान में पदस्थ उप- विभागीय अधिकारी, ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएँ, उप-विभाग, रामानुजगंज, जिला सूरजपुर (छ.ग.) के रूप में, निवासी सिंचाई कॉलोनी, सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता :
1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 2710/2008

याचिकाकर्ता : टी.सी. वर्मा, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता - श्री एल.एल. वर्मा, निवासी जी-75, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता :

1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. अभियंता-प्रमुख, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, सिविल लाइन थाना के निकट, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 2816/2008

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : सुभाष कुमार अग्रवाल, पिता - श्री देवीसाहा अग्रवाल, उम्र लगभग 49 वर्ष, वर्तमान में पदस्थ अध्यक्ष उप-विभागीय अधिकारी जिला पंचायत बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता :

1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 2950/2008

याचिकाकर्ता : के के.एल. चंद्रा, पिता - आर.के. चंद्रा, उम्र लगभग 50 वर्ष, कार्यरत अध्यक्ष सहायक अभियंता, ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएँ, उप-विभाग, जयजयपुर, जिला जांजगीर चांपा।

बनाम

उत्तरदाता :

1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 2951/2008

याचिकाकर्ता : प्रकाश राव फुलेकर, पिता - स्वर्गीय आर.आर फुलेकर, उम्र लगभग 42 वर्ष, कार्यरत सहायक अभियंता, उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय, ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा, उप-विभाग, शक्ति जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता :

1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (एस) संख्या 3299/2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : जे.पी. राय, पिता - एस.एल. राय, उम्र लगभग 50 वर्ष, वर्तमान में कार्यरत अध्यक्ष-सहायक अभियंता, ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएँ, उप-विभाग बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.), निवासी प्रेमबाग कॉलोनी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता :

1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

और

रिट याचिका (एस) संख्या 6340 वर्ष 2007

याचिकाकर्ता : ए.के. मिश्रा, पिता - श्री बी.पी. मिश्रा, उम्र लगभग 44 वर्ष, उप-इंजीनियर, जिला पंचायत सितापुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता :

1. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के माध्यम से, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. जल संसाधन विभाग के सचिव, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. विकास आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 / 227 के अंतर्गत रिट याचिका

प्रस्तुत: श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अशिष सुराना, श्रीमती हमीला सिद्दीकी, श्री पी.एस. कोशी, श्री उत्कर्ष वर्मा, श्री एफ.एस. खरे, संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री अनूप मजूमदार तथा सुश्री मधु निशा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, रिट याचिका/6340/2007 में।
श्री मनोज परांजपे, हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता, रिट याचिका/2608/2008 में।

श्री वाय.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादियों/राज्य के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायाधीश

आदेश जुलाई, 2008 के 28 दिन पारित

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2607/2008, 2608/2008, 2609/2008, 2707/2008, 2708/2008, 2710/2008, 2816/2008, 2950/2008, 2951/2008 एवं 3299/2008 सहित याचिकाओं के इस समूह के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 30.04.2008 के उस आदेश की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ उनके मूल विभाग, अर्थात् जल संसाधन विभाग, में प्रत्यावर्तित की गई हैं। इस याचिका समूह में जो विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है वह सभी याचिकाओं में एक समान है, अतः इन समस्त याचिकाओं का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।
2. निर्विवादित तथ्य संछेप में, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार है कि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के जल संसाधन विभाग में उप अभियंता/सहायक अभियंता के पद पर की गई थी। रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2607/2008, 2608/2008, 2609/2008, 2707/2008, 2708/2008, 2710/2008,

2816/2008, 2950/2008, 2951/2008 एवं 3299/2008 में याचिकाकर्ताओं का मूल विभाग जल संसाधन विभाग ही है। याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को विभिन्न आदेशों के माध्यम से ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा विभाग (जिसे आगे " आर.ई.एस. विभाग" के नाम से संदर्भित किया गया है) में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त/आवंटित किया गया, क्योंकि उस समय व्यापक पैमाने पर कार्य चल रहा था जिसमें अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता थी। उपर्युक्त सभी प्रकरणों में लगभग एक समान आदेश पारित किए गए, सिर्फ रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2710/2008 को छोड़कर। कुछ याचिककर्तागण ने आदेश दिनांक 17.02.2006 (अनुलग्नक -पी/2 रिट याचिका क्रमांक 2710/2008) से व्यथित होकर, जिसके माध्यम से जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंताओं को जल संसाधन विभाग की सहमति से आर.ई.एस. विभाग में स्थानांतरित किया गया था इसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की है । इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.06.2006 को कुछ अन्य अधिकारियों, अर्थात सहायक अभियंता एवं उप अभियंता को भी जल संसाधन विभाग से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया, जिसका उल्लेख आदेश दिनांक 06.11.2004 (अनुलग्नक-पी/3 रिट याचिका क्रमांक 2707/2008) से स्पष्ट होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. व्यथित होकर, कुछ कर्मचारियों ने रिट याचिका क्रमांक 1000/2006 (जे.एल. पाटनवार एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) एवं अन्य संबद्ध वाद दायर किए, जिसमें प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ताओं को आर.ई.एस. विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न किया जाए। राज्य शासन की ओर से उपस्थित श्री वर्मा, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा श्री मूर्ति, उप महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि विभाग ने यह निर्णय लिया है कि आर.ई.एस. विभाग के उन पदों पर, जो नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार नियमित स्वीकृत पद हैं एवं रिक्त पड़े हैं, किसी भी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति/स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी। राज्य शासन द्वारा दी गई इस छुट के परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ताओं को सीमा तक राहत दी गई कि आर.ई.एस. विभाग के विद्यमान रिक्त पदों को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/नियुक्ति द्वारा नहीं भरा जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य के प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर रिक्त पदोन्नति पदों को भरे। उपर्युक्त याचिकाओं को तदनुसार स्वीकार करते हुए, दिनांक 17.02.2006 एवं 12.06.2006 [रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2707/2008 को अनुलग्नक-पी/4] के आदेशों को निरस्त कर दिया गया । उक्त रिट याचिका क्रमांक 1000/2006 एवं

अन्य संबद्ध वादों में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.07.2006 के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी प्राधिकारियों ने आर.ई.एस. विभाग में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा पदस्त किये गए याचिकाकर्ताओं को, उपक्षेपित आदेश दिनांक 30.04.2008 [अनुलग्नक -पी/1, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2707/2008] के माध्यम से, उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया। व्यथित होकर,याचिकाकर्ताओं ने इन याचिकाओं का समूह दायर किया है।

4. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6340/2007 — यह याचिका श्री ए.के. मिश्रा, उप अभियंता, द्वारा इस आशय से दायर की गई है कि उत्तरवादि/राज्य को यह निर्देश प्रदान किया जाए कि जल संसाधन विभाग अथवा किसी अन्य विभाग से किसी भी अधिकारी को आर.ई.एस. विभाग में सहायक अभियंता अथवा उप अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति/ समायोजन/ स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थ न किया जाए। साथ ही, यह प्रार्थना भी की गई है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर आर.ई.एस. विभाग में उप अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उनके प्रकरणों पर विचार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का यह निवेदन है कि दिनांक 14.07.2006 का आदेश [अनुलग्नक -पी/4, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2707/2008] केवल आर.ई.एस. विभाग के विद्यमान पदों से संबंधित था तथा उसका प्रयोग उक्त विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों पर सर्वसाधारण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान में उक्त विभाग में 100 से अधिक अभियंता कार्यरत हैं, तथापि राज्य शासन ने केवल 15 उप अभियंताओं का चयन कर उनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए उन्हें उनके मूल विभाग, अर्थात् जल संसाधन विभाग, में प्रत्यावर्तित कर दिया है। राज्य शासन द्वारा अपनाई गई यह चयनात्मक कार्यप्रणाली मनमानी एवं अविवेकपूर्ण है। दिनांक 14.07.2006 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्राधिकारियों द्वारा विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण व्याख्या किया गया, क्योंकि इस न्यायालय ने कभी भी यह निर्देश पारित नहीं किया था कि आर.ई.एस. विभाग में कार्यरत सभी उप अभियंताओं, जिनमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हैं, को उनके मूल विभाग अर्थात् जल संसाधन विभाग में प्रत्यावर्तित किया जाए। याचिककर्तागण दिनांक 14.07.2006 के पूर्व से ही आर.ई.एस. विभाग में कार्यरत थे, जब राज्य शासन द्वारा यह कथन किया गया था कि जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभागों से आर.ई.एस. विभाग में किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण अथवा नियुक्ति के माध्यम से पदस्थ नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को जल संसाधन विभाग में प्रत्यावर्तित करते समय उक्त विभाग की

पूर्वानुमति/सहमति प्राप्त नहीं की गई। यह संपूर्ण प्रक्रिया कुछ पसंदीदा कर्मचारियों को पद पर बनाए रखने अथवा समायोजित करने के उद्देश्य से अपनाई गई, जो कि मनमानी एवं अनुचित है। याचिकाकर्ताओं को आर.ई.एस. विभाग में स्थानांतरित/आवंटित/प्रतिनियुक्त करते समय यह स्पष्ट एवं विधिवत् समझौता था कि उनकी सेवाओं का समायोजन उक्त विभाग में स्थायी रूप से किया जाएगा। ऐसे में राज्य शासन, अब विपरीत रुख अपनाते हुए, याचिकाकर्ताओं की आर.ई.एस. विभाग में की गई नियुक्ति को निरस्त कर उन्हें उनके मूल विभाग अर्थात् जल संसाधन विभाग में प्रत्यावर्तित नहीं कर सकता। अतः, उपक्षेपित आदेश दिनांक 30.04.2008, जो कि अवैध, अनुचित, मनमाना एवं अविवेकपूर्ण है, को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

6. श्री मजूमदार, याचिकाकर्ता की ओर से रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6340/2007 में उपस्थित अधिवक्ता, ने विपरीत तर्क करते हुए तर्क किया कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1000/2006 एवं अन्य संबद्ध याचिकाओं में दिनांक 14.07.2006 को पारित आदेश अत्यंत स्पष्ट है कि अन्य विभागों से किसी भी अधिकारी को आर.ई.एस. विभाग में प्रतिनियुक्ति/समायोजन अथवा स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थ नहीं किया जाएगा। अतः, इस न्यायालय द्वारा उतरवादीगण/राज्य को यह निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए कि अन्य विभागों से किसी भी अधिकारी को आर.ई.एस. विभाग में सहायक अभियंता अथवा उप अभियंता के पद पर पदस्थ न किया जाए, तथा दिनांक 14.07.2006 के आदेश में प्रतिपादित विचार के अनुरूप, उत्तरवादि/राज्य को यह भी निर्देशित किया जाए कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर आर.ई.एस. विभाग के उप अभियंताओं की सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उनके प्रकरणों पर विचार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री वाय.एस. ठाकुर, राज्य/उत्तरवादि की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता, ने यह तर्क किया कि राज्य प्राधिकारियों ने रिट याचिका क्रमांक 1000/2006 एवं अन्य संबद्ध प्रकरणों में पारित दिनांक 14.07.2006 के आदेश को न तो गलत समझा है और न ही उसका गलत अर्थ लगाया है। दिनांक 14.07.2006 का आदेश राज्य शासन द्वारा अपनाई गई इस नीति के अनुरूप है कि अन्य विभागों से किसी भी अधिकारी को आर.ई.एस. विभाग में उप अभियंता अथवा सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6340/2007 को छोड़कर, जल संसाधन विभाग में स्थायी धारणाधिकार रखते हैं और वे किसी अन्य विभाग, जिसमें आर.ई.एस. विभाग भी सम्मिलित है, में निरंतर सेवा

अथवा नियमित पदस्थापना का दावा अधिकार स्वरूप नहीं कर सकते, भले ही दोनों विभागों तथा संबंधित कर्मचारी की सहमति प्राप्त की गई हो। आर.ई.एस. विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है।

8. राज्य शासन की नीति के अनुसार, किसी कर्मचारी को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, जिसे दोनों विभागों तथा संबंधित कर्मचारी की सहमति से आगे की दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 1999-2000 में आर.ई.एस. विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए याचिकाकर्ताओं ने छह वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है तथा उनके प्रकरण उनके मूल विभाग, अर्थात् जल संसाधन विभाग, में प्रत्यावर्तन हेतु विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ताओं का यह कथन कि प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/आवंटन पर भेजे गए कर्मचारियों की सेवाओं का समायोजन किया जाएगा, किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि आर.ई.एस. विभाग द्वारा न तो किसी याचिकाकर्ता और न ही किसी अन्य कर्मचारी के सेवा-समायोजन का कोई आदेश पारित किया गया है। आर.ई.एस. विभाग के रिक्त पद नियमित नियुक्ति द्वारा भरे जा रहे हैं, न कि प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/आवंटन के माध्यम से। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 34 सहायक अभियंता चयनित किए जा चुके हैं [अनुलग्नक आर-1/6, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2707/2008] तथा उनमें से 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं [अनुलग्नक -आर-1/7, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2707/2008]।याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए चयनात्मक पद्धति के आरोप का भी कोई आधार नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया पहले से प्रारंभ हो चुकी है तथा आर.ई.एस. विभाग में कार्यरत वे सभी कर्मचारी, जिन्होंने 2/4 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जाएगा और उक्त रिक्तियां नियमित नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सहायक अभियंता के 59 पद पदोन्नति द्वारा भरे जा चुके हैं [अनुलग्नक-आर-1/9, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2707/2008]। जिन व्यक्तियों को उनके स्थान पर पदोन्नति या प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया है, उन्हें इन याचिकाओं में पक्षकार के रूप में समायोजित नहीं किया गया है, अतः पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर भी ये याचिकाएं निरस्त किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की तर्कों सुनीं तथा अभिवचनो एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दिनांक 14.07.2006 का आदेश, राज्य/उत्तरवादि की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन के आधार पर पारित किया गया था। पूर्व में तथा

आज किया गया तर्क अत्यंत स्पष्ट है कि आर.ई.एस. विभाग में प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ आवंटन के आधार पर पदस्थ सभी व्यक्तियों, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर 2/4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके मूल विभाग, अर्थात जल संसाधन विभाग, में प्रत्यावर्तित किया जाएगा। राज्य प्राधिकारियों ने दिनांक 14.07.2006 के आदेश का गलत व्यख्या नहीं किया है, क्योंकि यह आदेश राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए निवेदन के आधार पर ही पारित किया गया था।

10. प्रतिनियुक्ति का विधि-विधान अत्यन्त स्पष्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम इन्दर सिंह एवं अन्य[1] के प्रकरण में, प्रतिनियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मूल संवर्ग/मूल विभाग में प्रत्यावर्तन के विषय पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय प्रतिपादित किया है –

> "18. 'प्रतिनियुक्ति' की अवधारणा सेवा-न्यायशास्त्र में भली-भाँति समझी जाती है तथा इसका एक स्वीकृत अभिप्राय है। सेवा-न्यायशास्त्र में 'प्रतिनियुक्ति' का अभिप्राय सामान्य शब्दकोशीय अर्थ से भिन्न है, अतः शब्दकोशीय अर्थ सहायक नहीं है। सरल शब्दों में 'प्रतिनियुक्ति' का अर्थ है – मूल संवर्ग या मूल विभाग के बाहर सेवा करना। प्रतिनियुक्ति का तात्पर्य है, किसी कर्मचारी को उसके संवर्ग से बाहर अर्थात किसी अन्य विभाग में अस्थायी रूप से पदस्थ करना अथवा स्थानांतरित करना।प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, कर्मचारी को अपने मूल विभाग में लौटकर वही पद ग्रहण करना होता है, जब तक कि इस बीच वह भर्ती नियमों के अनुसार अपने मूल विभाग में पदोन्नति प्राप्त न कर ले। स्थानांतरण सामान्य नियुक्ति क्षेत्र के बाहर है या नहीं इसका निर्णय वही प्राधिकारी करता है, जो उस सेवा या पद को नियंत्रित करता है, जहाँ से कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है।प्रतिनियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती, अतः वह प्रतिनियुक्त पद पर अपने अधिकारों एवं विशेषाधिकारों से भली-भाँति परिचित रहता है। प्रतिनियुक्ति एवं प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित विधि पूर्णतः स्थापित है, जैसा कि हमने उपर्युक्त विभिन्न निर्णयों में भी देखा है....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (1997) 8 एस.सी.सी 372

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उमापति चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य[2] के प्रकरण में 'प्रतिनियुक्ति' को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है –

> "प्रतिनियुक्ति का उचित वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह किसी विभाग या संवर्ग अथवा यहाँ तक कि किसी संगठन (जिसे सामान्यतः 'मूल विभाग' या 'सेवाप्रदाता प्राधिकरण' कहा जाता है) के कर्मचारी (जिसे सामान्यतः 'प्रतिनियुक्ति प्राप्त कर्मचारी' कहा जाता है) को किसी अन्य विभाग, संवर्ग अथवा संगठन (जिसे सामान्यतः 'सेवाग्राही प्राधिकरण' कहा जाता है) में कार्य सौंपना है। प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता लोकहित में, लोक सेवा की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमतिकारक होती है और इसमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की सेवाएँ प्रदान करने का स्वैच्छिक निर्णय तथा सेवाग्राही नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं को स्वीकार करने की स्वीकृति सम्मिलित होती है। इसमें कर्मचारी की यह सहमति भी आवश्यक है कि वह प्रतिनियुक्ति पर जाएगा या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके आलावा, कुनाल नंदा बनाम भारत संघ एवं अन्य[3] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया –

> "6....प्रतिनियुक्ति का मूलभूत सिद्धांत स्वयं यह है कि संबंधित व्यक्ति को, कभी भी और किसी भी समय, उसके मूल विभाग में वापस भेजा जा सकता है ताकि वह वहाँ किसी भी स्थायी पद पर सेवा दे सके, चाहे वह पहल किसी भी विभाग की ओर से की गई हो। ऐसे व्यक्ति को न तो दीर्घ अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का कोई निहित अधिकार है और न ही जिस विभाग में वह प्रतिनियुक्ति पर गया है, उसमें समायोजन का कोई अधिकार है...."

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसार भारती एवं अन्य बनाम अमरजीत सिंह एवं अन्य[4] के प्रकरण में निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया –

---

[2] (1999) 4 एस.सी.सी. 659

[3] (2000) 5 एस.सी.सी. 362

[4] ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1269

"13. 'स्थानांतरण' एवं 'प्रतिनियुक्ति' के मध्य भेद विद्यमान है। 'प्रतिनियुक्ति' का तात्पर्य उस पद या विभाग से बाहर सेवा देना है, जो कर्मचारी के मूल पदक्रम अथवा मूल विभाग से पृथक हो, जिसमें वह सेवा दे रहा हो। जबकि 'स्थानांतरण' केवल समान पदक्रम एवं समान विभाग में समकक्ष पद पर सीमित होता है। जहाँ प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी व्यवस्था है, वहीं स्थानांतरण, उसका उलेख होने के कारण विपरीत लक्षणों को प्रदर्शित करता है।"

14. दिनांक 02.12.1988 का परिपत्र, जिसमें प्रतिनियुक्ति की अवधि से संबंधित प्रावधान ओर कारवाही करते हुए, राधे लाल नाग बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य [रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3997/2007] में, जो दिनांक 17.03.2008 को निर्णीत हुआ, में निम्नानुसार विचार व्यक्त किया गया –

"...2. प्रतिनियुक्ति का चयन पैनल के आधार पर होने के उपरानत चयन किये गये व्यक्ति को सेवाएं कम से कम दो वर्ष के लिए ली जानी चाहिए। यह अवधि दोनों विभागों की सहमति से कुल मिलाकर चार वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी व उसे किसी भी हालत में प्रतिनियुक्ति पर चार वर्ष की अवधि के उपरान्त बगैर मुख्यमंत्री जी के. कार्मिक विभाग के मार्फत अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं रखा जाये। ऐसे समस्त प्रतिनियुक्ति समय बढ़ाने के प्रकरण की अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व कार्मिक विभाग को प्रशासकीय अनुमोदन के उपरान्त सुस्पष्ट संक्षेपिका व शासकीय सेवक की अद्यतन गोपनीय वैयक्तिक नस्ती के साथ भेजे जावें....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. प्रतिनियुक्ति से संबंधित विधि के सुस्पष्ट एवं स्थापित सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पश्चात् कर्मचारी का का प्रतिनियुक्ति पर बने रहना अथवा मूल विभाग में वापसी (पुनर्वापसी) उनके सहमति पर निर्भर नहीं करता। प्रतिनियुक्ति की न्यूनतम अवधि पूर्ण होने पर याचिकाकर्ता/कर्मचारी को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। जिन याचिकाकर्ताओं की सेवा अवधि दो वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, उनके प्रकरणों पर राज्य शासन पृथक रूप से विचार कर, राज्य शासन के नीति-निर्णयों के आलोक में उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

16. उपरोक्त विचारों एवं यथोक्त कारणों के आलोक में, दिनांक 30.04.2008 के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाई जाती। अतः, समस्त याचिकाएँ, क्रमशः रिट याचिका (सेवा) सं. 2607/2008, 2608/2008, 2609/2008, 2707/2008, 2708/2008, 2710/2008, 2816/2008, 2950/2008, 2951/2008 एवं 3299/2008, खारीज की जाती हैं।

17. उपर्युक्त निर्णय एवं आदेश के आलोक में, रिट याचिका (सेवा) सं. 6340/2007, निस्तारित की जाती है। पक्षकारों के लिए व्यय साधारण रहेगा।

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: Akansha Verma Dabhadker